

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट्याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :- भारतीय जनता पार्टी

*निर्वाचन का नाम :- 21 देवास

राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम :- मध्यप्रदेश

(1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- 21-देवास लोकसभा

अभ्यर्थी का नाम :- श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी

क्र. सं.		
1.	आपराधिक पूर्व वृत्त	
	क. अपराधों की प्रकृति	असंज्ञेय
	ख. मामला संख्या	एस सी पी पी एम/20/23
	ग. न्यायालय का नाम	विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए. न्यायालय) इन्दौर
	घ. क्या आरोप विरचित कर दिए गए हैं या नहीं (हां/नहीं)	नहीं
	ड. दोष सिद्धी की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च. भुगती गई सजा का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
2.	अभ्यर्थी के चयन का कारण चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुए किया जाएगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी पूर्व न्यायाधीश तथा विधिवेत्ता एवं उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। उनके द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये सामाजिक कार्यों से उनकी छवि उज्ज्वल है, इसके कारण श्री सोलंकी का क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है। श्री सोलंकी सभी वर्गों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध हैं।
3.	यह कारण बताएं कि बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)	श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी उच्च शिक्षा प्राप्त सामाजिक कार्यों के लिये समर्पित एवं विधिवेत्ता होने के कारण अन्य व्यक्तियों से योग्य उम्मीदवार हैं।


(भगवानदास सबनानी)

विधायक

प्रदेश महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी
भारतीय जनता पार्टी,
मध्य प्रदेश